पत्रांक एस0आर0 2130/11-97-1306/95

प्रेषक,

डा0 हरिकृष्ण
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कर एवं संस्थागत वित्त विभाग लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 1997

महोदय,

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंन्तर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340 से 352 तक के प्राविधानों को उपास्त करके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी नियमावली-उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 जारी की गयी है। यह नियमावली प्रदेश में दिनांक 15 जुलाई 1997 से लागू होगी।

उपरोक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त नियमावली को उपरिसंदर्भित तिथि से लागू करने का कष्ट करें। संपत्तियों के निबंधन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विलेखों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने के लिए नियमावली में सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए कलेक्टरों द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों को माह अगस्त में पुनरीक्षित करने का प्राविधान किया गया है साथ ही प्रत्येंक दो वर्ष में इनके पुनरीक्षण की व्यवस्था है। यह संभव है कि कतिपय जनपदों में अभी हाल ही में अथवा दो वर्ष से कम की अवधि में पुनरीक्षण हुआ हो। प्रदेश भर में एकरूपता की दृष्टि से शासन स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरें कलेक्टरों द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 30 अगस्त 1997 को जारी की जानी है। अतः मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि आप अभी से अपने जनपद में इस कार्यवाही को प्रारम्भ करा दें और उक्त नियमावली में दिये गये मार्गदर्शक विद्धान्तों का पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित कर ले कि जहां एक ओर राज्य सरकार को स्टाम्प/ रजिस्ट्रेशन से होने वाली आय समुचित हो वही दूसरी ओर गलत मूल्यांकन से जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न न हो और किसी प्रकार की शिकायत न रहे। ऐसा करने के लिए जनपद के कलेक्टर द्वारा अपने अधीनस्थों पर ही इस कार्य को न छोड़कर स्वयं सूक्ष्म परीक्षण करके ये न्यूनतम दरे जारी की जानी होगी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाताहै कि अभी से इस कार्य को प्रारम्भ करके दिनांक 30 अगस्त 1997 का मूल्यांकन सूची जारी करते हुए शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

हरिकृष्ण
सचिव।

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक, निबंधन, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
हरिकृष्ण
सचिव
कर एवं संस्थागत वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।